

प्रेमक,

बालू राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा भौम-2 समुदाय क्षेत्र,
प्रति शिक्षा, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

संज्ञक: दिनांक: 14 जुलाई, 2006

विषय - उत्तर प्रदेश केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पॉली मेरठ हाफुड रोड, मेरठ को सीबीएसई नई दिल्ली से संबन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कठने का निवेदन हुआ है कि उक्त प्रस्तावित विद्यालय को सीबीएसई नई दिल्ली से संबन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने जाने में एत. राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों को धर्मीय आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का सचय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उपग्रामाध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संश्लेषित विद्यार्थियों में विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त है तथा विद्यालय की संरचना संरक्षक बोर्ड द्वारा संश्लेषित पपुलेशन नई दिल्ली/प्रतिष्ठित आठ दि. शिक्षण स्थल सटीककेट इन्फ्रामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबन्धित प्राप्त होने की तिथि से उपग्रामाध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सहायता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था को शैक्षिक एवं शिवागोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को कर्मचारियों को अनुदान केतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम केतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूचित सेवा निधुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

3- उक्त शर्तियों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह सम्भव नपाता है कि संस्था द्वारा उक्त शर्तियों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या क्षीणता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(बाबू राम)
अनु सचिव ।

पुस्तक- /15-7-2006 तारीख

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संचालक शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रधानक, एम०एस० इंस्टीट्यूट स्कूल ग्राम पाँची मेरठ हापुड़ रोड, मेरठ ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
अनु सचिव ।